

# NEXT IAS

## दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 6-04-2026

### विषय सूची

नागरिक-केंद्रित शासन के लिए क्षमता निर्माण को सुदृढ़ बनाना  
WTO संकट के बीच व्यापार बहुपक्षवाद की चुनौतियाँ  
असीमित कार्यकारी कार्यालय  
\बांग्लादेश सीमा के साथ सरीसृपों के उपयोग हेतु बीएसएफ का प्रस्ताव  
भारतीय बंदरगाहों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से रूपांतरित होने की आवश्यकता

### संक्षिप्त समाचार

भारत के प्रमुख बंदरगाहों द्वारा कार्गो लक्ष्य की प्राप्ति से अधिक प्रदर्शन  
OPEC+  
स्टैगफ्लेशन  
फॉरएवर केमिकल्स  
ऑक्टोपस में हेक्टोकोटिलस  
BRO की परियोजना चेतक ने मनाया 47वाँ स्थापना दिवस  
बायोनेस्ट (BioNEST)  
भारत जनजातीय उत्सव 2026

## नागरिक-केंद्रित शासन के लिए क्षमता निर्माण को सुदृढ़ बनाना

### संदर्भ

- राष्ट्रीय प्रगति हेतु अनुकूलनशील विकास और मानवीय दक्षता को सुदृढ़ करना (साधना/Sādhanā) सप्ताह 2026 भारत में आयोजित होने वाली सबसे बड़ी सहयोगात्मक क्षमता निर्माण पहलों में से एक है।

### साधना/Sādhanā सप्ताह 2026

- इसका उद्देश्य सरकारी अधिकारियों के कौशल और दक्षताओं को बढ़ाकर नागरिक-केंद्रित, उत्तरदायी एवं दक्ष शासन को प्रोत्साहित करना है।
- यह पहल कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT), क्षमता निर्माण आयोग (CBC), और कर्मयोगी भारत द्वारा आयोजित की जा रही है, जिसमें केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों एवं प्रशिक्षण संस्थानों को एक साथ लाया जा रहा है।
- यह कार्यक्रम क्षमता निर्माण आयोग के स्थापना दिवस और मिशन कर्मयोगी के पाँच वर्ष पूरे होने का भी प्रतीक है, जिसका नारा है — “हम बने कर्मयोगी”।
- साधना सप्ताह के अंतर्गत प्रारंभ की गई पहलें:
  - कर्मयोगी क्षमता कनेक्ट** : अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की क्षमता को संरचित शिक्षण मॉड्यूल के माध्यम से विकसित करना, जिससे वे नागरिक-केंद्रित सेवाओं को अधिक दक्षता और डिजिटल जागरूकता के साथ प्रदान कर सकें।
  - उन्नति पोर्टल (UNNATI Portal)**: एकीकृत डिजिटल आधारभूत संरचना स्थापित करता है, जिससे प्रशिक्षण संस्थानों को वास्तविक समय में निगरानी, सहयोग और डेटा-आधारित क्षमता निर्माण में सक्षम बनाया जा सके।
  - iGOT लर्निंग असेसमेंट फ्रेमवर्क**: एक विश्वास-आधारित मूल्यांकन प्रणाली प्रस्तुत करता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सीखने के परिणाम वास्तविक कार्यस्थल पर लागू हों और शासन पर सकारात्मक प्रभाव डालें।

- कर्मयोगी गान** : समर्पण, सेवा और सतत् सीखने की भावना को प्रतिबिंबित करता है, जिसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एकीकृत किया जाएगा ताकि मिशन कर्मयोगी की भावना को सुदृढ़ किया जा सके।

### नागरिक-केंद्रित शासन क्या है?

- नागरिक-केंद्रित शासन सार्वजनिक प्रशासन का एक मॉडल है, जिसमें नागरिकों की आवश्यकताओं, कल्याण और सक्रिय भागीदारी को सभी सरकारी कार्यों के केंद्र में रखा जाता है।
- इसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को अधिक उत्तरदायी, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है, जिससे नागरिक केवल सेवाओं के प्राप्तकर्ता न रहकर निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में भागीदार बन सकें।

### नागरिक-केंद्रित शासन को प्रोत्साहित करने वाली सरकारी पहलें

- मिशन कर्मयोगी (NPCSCB)**: 2020 में प्रारंभ की गई भारत सरकार की प्रमुख पहल, जिसका उद्देश्य भारतीय सिविल सेवाओं को “नियम-आधारित” से “भूमिका-आधारित” दृष्टिकोण में परिवर्तित करना है, ताकि अधिकारी रचनात्मक, सक्रिय, पेशेवर और भविष्य-उन्मुख बन सकें।
- सेवोत्तम मॉडल**: 2006 में प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG) द्वारा प्रस्तुत गुणवत्ता प्रबंधन ढाँचा, जो सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार हेतु संरचित दृष्टिकोण प्रदान करता है।
- डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI)**: आधार-आधारित सेवाएँ और UPI भुगतान तंत्र जैसी पहलें नागरिकों के लिए पहुँच, दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाती हैं।

### नागरिक-केंद्रित शासन प्राप्त करने में चुनौतियाँ

- नौकरशाही जड़ता**: पारंपरिक नियम-आधारित प्रणाली से परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध।
- क्षमता अंतराल**: अधिकारियों में कौशल, प्रशिक्षण और डिजिटल साक्षरता की कमी, विशेषकर बुनियादी स्तर पर।

- **डिजिटल विभाजन:** प्रौद्योगिकी और इंटरनेट तक असमान पहुँच।
- **खंडित सेवा वितरण:** विभागों के बीच समन्वय की कमी से अक्षमताएँ और विलंब।
- **कमज़ोर जवाबदेही तंत्र:** नागरिक परिणामों से जुड़ी प्रदर्शन माप प्रणाली का अभाव।

### क्षमता निर्माण आयोग

- **स्थापना वर्ष:** 2021
- यह तीन सदस्यीय आयोग है, जिसे सचिव के नेतृत्व वाले आंतरिक सचिवालय का सहयोग प्राप्त है।
  - इसके सदस्य निजी क्षेत्र, अकादमिक जगत, सार्वजनिक क्षेत्र और नागरिक समाज जैसे विविध पृष्ठभूमियों से नियुक्त किए गए हैं।
- CBC मिशन कर्मयोगी ढाँचे का संरक्षक है, जो क्षमता निर्माण और दक्षता-आधारित शिक्षण के माध्यम से सिविल सेवा सुधारों को आगे बढ़ाता है।
- आयोग ढाँचे तैयार करता है, मानक निर्धारित करता है और सहयोग को प्रोत्साहित करता है ताकि शासन अधिक पारदर्शी, जवाबदेह, नागरिक-केंद्रित एवं भविष्य-उन्मुख बन सके।

### आगे की राह

- **केंद्र-राज्य क्षमता अंतराल को पाटना:** केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में क्षमता निर्माण ढाँचों का सामंजस्य स्थापित करना आवश्यक है, ताकि शासन मानकों में एकरूपता सुनिश्चित हो सके।
- **प्रतिक्रिया तंत्र:** प्रभाव मूल्यांकन, प्रतिक्रिया चक्र और वास्तविक समय निगरानी हेतु सुदृढ़ प्रणालियाँ विकसित की जानी चाहिए, ताकि प्रशिक्षण कार्यक्रमों को निरंतर परिष्कृत किया जा सके।
- **जमीनी स्तर पर शासन को सुदृढ़ करना:** पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि अंतिम छोर तक सेवा वितरण नागरिक-केंद्रित उद्देश्यों के अनुरूप हो सके।

स्रोत: PIB

## WTO संकट के बीच व्यापार बहुपक्षवाद की चुनौतियाँ

### संदर्भ

- विश्व व्यापार संगठन (WTO) का चौदहवाँ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC14), जो याओउडे में आयोजित हुआ, ने WTO के अंदर बढ़ती विभाजन रेखाओं और संस्थागत कमजोरियों को उजागर किया।
  - व्यापार बहुपक्षवाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अपने सबसे गंभीर संकट का सामना कर रहा है।

### प्रमुख स्थगन का विघटन

- **ई-कॉमर्स स्थगन का अंत:** 1998 से WTO सदस्य देशों ने डिजिटल व्यापार पर सीमा शुल्क न लगाने पर सहमति व्यक्त की थी।
  - MC14 इस स्थगन को आगे बढ़ाने में विफल रहा, जो 31 मार्च 2026 को समाप्त हो गया।
  - अब देशों को इलेक्ट्रॉनिक प्रसारणों पर शुल्क लगाने की स्वतंत्रता है।
- **TRIPS गैर-उल्लंघन स्थगन:** TRIPS समझौते के अंतर्गत गैर-उल्लंघन शिकायतों के विरुद्ध सुरक्षा समाप्त हो गई।
  - 1995 से यह सुरक्षा विकासशील देशों के नीति-निर्माण क्षेत्र की रक्षा करती रही थी। इसके अभाव में, WTO-अनुपालन उपाय जैसे अनिवार्य लाइसेंसिंग भी विकसित देशों द्वारा चुनौती दिए जा सकते हैं।
  - भारत के लिए यह जोखिम बढ़ाता है कि भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 3(d) पर विवाद उत्पन्न हो सकता है, जो पहले से ज्ञात दवाओं पर पेटेंट को तभी मान्यता देता है जब नए दावे प्रभावकारिता के दृष्टिकोण से श्रेष्ठ हों। यह पेटेंट के “एवरग्रीनिंग” को रोकता है।
- **बहुपक्षीय समझौतों पर गतिरोध:** प्रस्तावित विकास हेतु निवेश सुविधा (IFD) समझौता WTO ढाँचे में सम्मिलित नहीं हो सका।
  - भारत ने इसके समावेशन का विरोध किया क्योंकि बहुपक्षीय समझौतों को एकीकृत करने हेतु स्पष्ट कानूनी प्रावधानों का अभाव था।

### WTO के समक्ष व्यापक चुनौतियाँ

- **मूलभूत सिद्धांतों का क्षरण:** सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र (MFN) व्यवहार और विशेष एवं भिन्न उपचार (SDT) जैसे प्रमुख सिद्धांतों पर प्रश्न उठ रहे हैं।
  - अमेरिका जैसे देशों की कार्रवाइयाँ एकतरफावाद और चयनात्मक नियम पालन की ओर संकेत करती हैं।
- **विवाद निपटान तंत्र का संकट:** WTO का विवाद निपटान तंत्र, विशेषकर इसकी अपीलिय संस्था, निष्क्रिय बनी हुई है।
  - MC14 इस महत्वपूर्ण तंत्र को पुनर्स्थापित करने हेतु कोई रोडमैप प्रदान करने में विफल रहा।
  - विश्वसनीय विवाद समाधान प्रणाली के अभाव में व्यापार नियमों का प्रवर्तन अप्रभावी हो जाता है।
- **वैश्विक व्यापार नियमों का विखंडन:** WTO वार्ताओं की विफलता देशों को वैकल्पिक व्यवस्थाओं की ओर प्रेरित कर रही है, जैसे—
  - द्विपक्षीय समझौते
  - क्षेत्रीय व्यापार समूह
  - WTO से बाहर बहुपक्षीय समझौते

### आगे की राह

- वैश्विक व्यापार शासन का भविष्य WTO की इस क्षमता पर निर्भर करता है कि वह अपने मूलभूत सिद्धांतों से समझौता किए बिना अनुकूलन कर सके।
- सुधार, समावेशिता और सुदृढ़ राजनीतिक प्रतिबद्धता का संतुलित दृष्टिकोण बहुपक्षवाद में विश्वास बहाल करने के लिए आवश्यक है।

### विश्व व्यापार संगठन (WTO)

- **परिचय:** WTO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो देशों के बीच व्यापार नियमों से संबंधित है।
- **इतिहास:** WTO, सामान्य शुल्क एवं व्यापार समझौते (GATT) का उत्तराधिकारी है, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित किया गया था।
  - माराकेश समझौता 1994 में 123 देशों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 1 जनवरी 1995 को WTO अस्तित्व में आया।

- **मुख्यालय:** जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड
- **सदस्य:** WTO के 166 सदस्य देश हैं।
- **अधिदेश:** इसका उद्देश्य मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना है, जो सदस्य देशों द्वारा चर्चा और हस्ताक्षरित व्यापार समझौतों के माध्यम से किया जाता है।
  - माराकेश समझौते की प्रस्तावना इस संगठन के विकासात्मक उद्देश्यों को प्राथमिकता देती है।

### WTO की संगठनात्मक संरचना

- **मंत्रिस्तरीय सम्मेलन:** WTO की सर्वोच्च निर्णय-निर्माण संस्था मंत्रिस्तरीय सम्मेलन है, जो सामान्यतः प्रत्येक दो वर्ष में आयोजित होती है।
  - इसमें सभी सदस्य देश शामिल होते हैं और वे किसी भी बहुपक्षीय व्यापार समझौते से संबंधित मामलों पर निर्णय ले सकते हैं।
- **सामान्य परिषद:** यह मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के ठीक नीचे है और जिनेवा स्थित WTO मुख्यालय में वर्ष में कई बार बैठक करती है।
  - यह व्यापार नीति समीक्षा निकाय और विवाद निपटान निकाय के रूप में भी बैठक करती है।
- **TRIPS परिषद:** यह वस्तुओं, सेवाओं और बौद्धिक संपदा से संबंधित है तथा सामान्य परिषद को रिपोर्ट करती है।

स्रोत: TH

### असीमित कार्यकारी कार्यालय

#### संदर्भ

- भारत ने तीसरे राष्ट्रपति कार्यकाल को सीमित करने की परंपरा विकसित की है, किंतु संविधान प्रधानमंत्री के कार्यकाल पर कोई ऐसी सीमा नहीं लगाता।

### कार्यकारी कार्यकाल का सीमांकन

- कार्यकारी कार्यकाल का सीमांकन का अर्थ है कि किसी कार्यकारी पदाधिकारी के कार्यकाल की अवधि या कार्यकालों की संख्या पर संवैधानिक अथवा कानूनी सीमा लगाई जाए।
- इससे सुनिश्चित होता है कि कोई भी व्यक्ति अनिश्चितकाल तक सत्ता में न रहे और समय-समय पर नेतृत्व परिवर्तन हो।

- ऐसी सीमाएँ प्रायः राष्ट्रपति प्रणाली वाले देशों में पाई जाती हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, जहाँ राष्ट्रपति को दो कार्यकाल तक सीमित किया गया है।
  - दक्षिण कोरिया, ब्राज़ील, कोलंबिया और इंडोनेशिया भी राष्ट्रपति कार्यकाल पर सीमा लगाते हैं।

### कार्यकारी कार्यकाल सीमित करने के विरुद्ध तर्क

- **संसदीय जवाबदेही पर्याप्त है:** भारत में प्रधानमंत्री केवल तब तक पद पर रहते हैं जब तक उन्हें लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है, जिससे निरंतर जवाबदेही सुनिश्चित होती है।
- **लोकतांत्रिक विकल्प को कमजोर करता है:** निश्चित कार्यकाल सीमा लोकप्रिय और प्रभावी नेता को हटाने के लिए बाध्य कर सकती है, यद्यपि मतदाता निरंतरता चाहते हों।
- **नीतिगत निरंतरता में व्यवधान:** दीर्घकालिक सुधार और राष्ट्रीय परियोजनाएँ स्थिर नेतृत्व की माँग करती हैं, जिसे कार्यकाल सीमा बाधित कर सकती है।
- **राजनीतिक अस्थिरता का जोखिम:** बार-बार नेतृत्व परिवर्तन से अस्थिरता, गठबंधन दबाव और कमजोर शासन उत्पन्न हो सकता है।
- **वर्तमान संवैधानिक नियंत्रण:** भारत का संविधान पहले से ही चुनावों, अविश्वास प्रस्तावों और न्यायिक पर्यवेक्षण के माध्यम से जवाबदेही सुनिश्चित करता है।
- **संसदीय प्रणाली के लिए उपयुक्त नहीं:** कार्यकाल सीमाएँ राष्ट्रपति प्रणाली जैसे अमेरिका में अधिक प्रासंगिक हैं, जहाँ कार्यकारी शक्ति केंद्रित होती है।
- **अनुभवी नेतृत्व का नुकसान:** कार्यकाल सीमित करने से अनुभवी नेताओं का समयपूर्व निष्कासन हो सकता है, जिससे शासन की दक्षता प्रभावित होती है।

### कार्यकारी कार्यकाल सीमित करने के पक्ष में तर्क

- **शक्ति के केंद्रीकरण को रोकता है:** कार्यकाल सीमित करने से किसी व्यक्ति में अत्यधिक अधिकार के केंद्रीकरण का जोखिम कम होता है।

- **सत्तावाद के विरुद्ध सुरक्षा:** लंबा, अविराम शासन लोकतांत्रिक मानदंडों को कमजोर कर सकता है; कार्यकाल सीमा सत्तावादी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाती है।
- **नए नेतृत्व को प्रोत्साहन:** नए नेताओं और ताज़ा विचारों को प्रोत्साहित करता है, जिससे आंतरिक दलगत लोकतंत्र एवं राजनीतिक प्रतिस्पर्धा मजबूत होती है।
- **लोकतांत्रिक संस्कृति को सुदृढ़ करता है:** यह सिद्धांत पुष्ट करता है कि कोई पद स्थायी नहीं है, जिससे भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों की गहराई बढ़ती है।
- **वैश्विक प्रथाओं के अनुरूप:** कई लोकतंत्र, विशेषकर राष्ट्रपति प्रणाली वाले जैसे अमेरिका, जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु कार्यकाल सीमाएँ लागू करते हैं।
- **संस्थागत कब्जे को रोकता है:** लंबे कार्यकाल संस्थानों पर प्रभाव डाल सकते हैं; सीमाएँ संस्थागत स्वतंत्रता और शक्ति संतुलन बनाए रखने में सहायक होती हैं।

### निष्कर्ष

- 1948 में प्रारूप संविधान प्रस्तुत करते समय डॉ. बी.आर. आंबेडकर ने “जिम्मेदारी का दैनिक आकलन” — जो प्रश्नों, अविश्वास प्रस्तावों और स्थगन प्रस्तावों के माध्यम से उपलब्ध है — और “नियतकालिक आकलन” — जो निश्चित अवधि के चुनावों से प्राप्त होता है — के बीच अंतर स्पष्ट किया।
- ये दोनों तंत्र मिलकर संसदीय लोकतंत्र का सार प्रस्तुत करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कार्यपालिका निरंतर विधायिका के प्रति जवाबदेह रहे और अंततः जनता के प्रति उत्तरदायी बनी रहे।

स्रोत: TH

### बांग्लादेश सीमा के साथ सरीसृपों के उपयोग हेतु बीएसएफ का प्रस्ताव

#### संदर्भ

- **सीमा सुरक्षा बल (BSF)** भारत-बांग्लादेश सीमा के नदीय क्षेत्रों में, जहाँ बाढ़ लगाना संभव नहीं है, प्राकृतिक

निवारक उपायों जैसे साँप और मगरमच्छों के उपयोग की संभावना खोज रहा है।

### भारत-बांग्लादेश सीमा: प्रमुख तथ्य

- भारत-बांग्लादेश सीमा लगभग 4,096.7 किमी लंबी है, जो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है।
- इसमें से लगभग 3,232 किमी पर बाड़ लगाई जा चुकी है, जबकि लगभग 864 किमी बिना बाड़ के है, जिसमें लगभग 174 किमी ऐसे अंतराल हैं जहाँ बाड़ लगाना संभव नहीं है।
- ये अंतराल नदियों (जैसे इछामती, रैमंगल, और हरिभंगा), बार-बार आने वाली बाड़ और कठिन भू-आकृतिक परिस्थितियों, विशेषकर सुंदरबन क्षेत्र के कारण बने हुए हैं।
- यह सीमा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम से होकर गुजरती है।

### प्रमुख समस्याएँ

- **छिद्रपूर्ण सीमा और अवैध प्रवासन:** बांग्लादेश से अवैध प्रवासन लंबे समय से चिंता का विषय रहा है। यह आर्थिक असमानताओं और पर्यावरणीय विस्थापन (बाड़, कटाव) से प्रेरित है।
- **तस्करी और अंतर्राष्ट्रीय अपराध:** मवेशी तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी और नकली मुद्रा जैसी गतिविधियाँ आम हैं। संगठित नेटवर्क कठिन भू-भाग एवं स्थानीय संपर्कों का लाभ उठाते हैं।
- **नदीय और कठिन भू-भाग:** बड़े क्षेत्र बाड़-प्रवण हैं, जहाँ बाड़ नहीं लगाई जा सकती और नदियों का मार्ग बदलता रहता है। निचले एवं नदीय क्षेत्रों में भौतिक अवरोध कठिन हैं, जिससे बाड़ परियोजनाएँ विलंबित होती हैं।
- **सीमा बाड़ लगाने की चुनौतियाँ:** भूमि अधिग्रहण की समस्याएँ और स्थानीय विरोध (बाड़ गाँवों/कृषि भूमि से होकर गुजरती है)। शून्य रेखा से दूरी संबंधी मानक कार्यान्वयन को जटिल बनाते हैं।
- **मानवीय और सामाजिक चिंताएँ:** सीमा निवासी प्रतिबंधित आवागमन, आजीविका में व्यवधान और अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों का सामना करते हैं।

- **भारत-बांग्लादेश समन्वय समस्याएँ:** कभी-कभी सीमा पर हत्याएँ और शून्य रेखा के निकट बाड़ लगाने को लेकर विवाद उत्पन्न होते हैं।

### अपनाए गए सीमा प्रबंधन उपाय

- **BSF की तैनाती:** BSF प्राथमिक सीमा सुरक्षा बल है, जो चौबीसों घंटे निगरानी और गश्त करता है।
- **प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेप:** असम के नदीय क्षेत्रों में **BOLD-QIT** (व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली) लागू किया गया है। इसमें सेंसर, थर्मल इमेजर और राडार का उपयोग होता है।
- **स्मार्ट फेंसिंग (BOLD-QIT):** वास्तविक समय निगरानी हेतु स्मार्ट फेंसिंग, जिसमें एकीकृत कमांड और नियंत्रण प्रणाली है।
- **सीमा चौकियों (BOPs) का सुदृढीकरण:** सीमा चौकियों का घनत्व बढ़ाया गया है और 'डार्क एरिया' (जहाँ मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है) की पहचान कर सुधार किया जा रहा है।
- **भारत-बांग्लादेश सहयोग:** समन्वित सीमा प्रबंधन योजना (CBMP); संयुक्त गश्त और फ्लैग मीटिंग; बेहतर खुफिया साझाकरण।
- **भूमि सीमा समझौता (LBA), 2015:** एन्क्लेव विवादों का समाधान (क्षेत्रों का आदान-प्रदान); पहले से अपरिभाषित सीमा खंडों का सीमांकन; द्विपक्षीय संबंधों में सुधार और संघर्ष क्षेत्रों में कमी।
- **सीमा हाट (स्थानीय व्यापार बाजार):** स्थानीय आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, छोटे पैमाने के सीमा-पार व्यापार को वैध बनाना, तस्करी और अनौपचारिक व्यापार को कम करना, तथा सीमा समुदायों की आजीविका में सुधार करना।

### प्राकृतिक निवारकों को अपनाने की चुनौतियाँ और चिंताएँ

- **पारिस्थितिक और नैतिक मुद्दे:** सुरक्षा उद्देश्यों हेतु वन्यजीव जनसंख्या का परिचय या हेरफेर प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित कर सकता है और वन्यजीव संरक्षण मानकों का उल्लंघन कर सकता है।

- **अनुपातिकता संबंधी चिंताएँ:** साँप और मगरमच्छ घुसपैठियों तथा स्थानीय मछुआरों या नागरिकों में भेद नहीं कर सकते, जिससे गंभीर मानवीय प्रश्न उठते हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय कानून का पहलू:** जानबूझकर प्राकृतिक घातक अवरोधों का उपयोग सीमा अवरोध के रूप में करना अंतर्राष्ट्रीय मानवीय मानकों से टकरा सकता है।

### सीमा सुरक्षा बल (BSF) के बारे में

- **स्थापना:** 1 दिसंबर 1965
- **स्थिति:** गृह मंत्रालय (MHA) के अंतर्गत भारत का प्राथमिक सीमा सुरक्षा बल।
- **प्रकृति:** केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) में से एक, जिसका कार्य भारत की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, विशेषकर पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ।
- **कानूनी आधार:** सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968
- **उद्देश्य:**
  - भारत की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना
  - सीमा-पार अपराधों को रोकना
  - अवैध प्रवासन और घुसपैठ की जाँच करना
  - शांति काल में प्रथम रक्षा पंक्ति के रूप में कार्य करना

स्रोत: TH

## भारतीय बंदरगाहों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से रूपांतरित होने की आवश्यकता

### संदर्भ

- विगत कुछ वर्षों में भारत के प्रमुख बंदरगाह “स्मार्ट पोर्ट” में रूपांतरित हो चुके हैं, जहाँ सूचना प्रौद्योगिकी और स्वचालन ने दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि की है।

### परिचय

- राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स पोर्टल (मरीन), सागर सेतु और ई-समुद्र जैसे प्लेटफॉर्म ने बंदरगाह संचालन को डिजिटलाइज कर दिया है।

- हालाँकि, आगामी चरण “इंटेलीजेंट पोर्ट्स” (Intelligent Ports) का है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) द्वारा संचालित होंगे और डिजिटलीकरण से डेटा-आधारित निर्णय-निर्माण की ओर अग्रसर होंगे।

### बंदरगाहों में AI की आवश्यकता क्यों है?

- परियोजना नियोजन और पूर्वानुमान आधारित निर्णय-निर्माण को सुदृढ़ करता है।
- भीड़-भाड़ का पूर्वानुमान और जस्ट-इन-टाइम बर्थिंग सक्षम करता है, जिससे टर्नअराउंड समय घटता है।
- व्यापार सुविधा और सुरक्षा व पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन में सुधार करता है।
- ऊर्जा अनुकूलन और लागत में कमी में सहायक होता है।

### बंदरगाहों में प्रमुख डिजिटल सुधार

- नियामक अनुमोदनों के लिए समुद्री एकल खिड़की का कार्यान्वयन।
- *ONOD* (एक राष्ट्र, एक दस्तावेज) और *ONOP* (एक राष्ट्र, एक प्रक्रिया) का परिचय, जिससे दस्तावेजीकरण का मानकीकरण।
- सीमा शुल्क, आब्रजन और बंदरगाह प्राधिकरणों में अनावश्यक कागजी कार्यों में कमी।
- मैनुअल से पूर्णतः डिजिटल कार्यप्रवाह की ओर बदलाव, जिससे पारदर्शिता और दक्षता में वृद्धि।

### भारत का बंदरगाह क्षेत्र

- भारत में 14 प्रमुख बंदरगाह हैं, जिनमें से 12 संचालित हैं, और लगभग 200 गैर-प्रमुख (लघु) बंदरगाह हैं।
- **प्रशासनिक नियंत्रण:** प्रमुख बंदरगाह पोर्ट्स, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन हैं, जबकि गैर-प्रमुख बंदरगाह संबंधित राज्य समुद्री बोर्ड/राज्य सरकार के अधीन आते हैं।
- **रणनीतिक स्थिति:** विश्व की सबसे व्यस्त नौवहन मार्गों पर स्थित होने के कारण भारत एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र और उभरती वैश्विक शक्ति है।
- **समुद्री क्षेत्र का अवलोकन:** भारत के व्यापार का 95% आयतन और 70% मूल्य समुद्री मार्ग से होता

है, जिससे बंदरगाह अवसंरचना अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

- **बंदरगाह रैंकिंग में सुधार:** भारत की बंदरगाह रैंकिंग 2014 में 54वें स्थान से 2023 में 38वें स्थान पर पहुँची, और अब नौ भारतीय बंदरगाह विश्व के शीर्ष 100 में शामिल हैं।
- **कार्गो हैंडलिंग में वृद्धि:** 2014-15 से 2023-24 के बीच प्रमुख बंदरगाहों की वार्षिक कार्गो-हैंडलिंग क्षमता में 87.01% की वृद्धि हुई।
- **महत्व:** भारत 16वाँ सबसे बड़ा समुद्री राष्ट्र है और वैश्विक नौवहन में प्रमुख स्थान रखता है।
- **भविष्य के लक्ष्य:** भारत ने 2035 तक बंदरगाह अवसंरचना परियोजनाओं में 82 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश का लक्ष्य रखा है।
  - भारत आगामी दशक में कम से कम 1,000 जहाजों का बेड़ा बढ़ाने हेतु नई शिपिंग कंपनी स्थापित करने की योजना बना रहा है।

### चुनौतियाँ

- **अवसंरचना अंतराल:** अपर्याप्त बंदरगाह अवसंरचना और कुछ बंदरगाहों पर पुरानी सुविधाएँ, जिससे क्षमता और दक्षता सीमित होती है।
- **भीड़-भाड़:** प्रमुख बंदरगाहों पर उच्च यातायात मात्रा से विलंब, टर्नअराउंड समय में वृद्धि और उत्पादकता में कमी।
- **पर्यावरणीय चिंताएँ:** प्रदूषण और स्थिरता संबंधी मुद्दे, जिनमें जहाजों और बंदरगाह संचालन से उत्सर्जन शामिल हैं।
- **लॉजिस्टिक्स बाधाएँ:** बंदरगाहों, सड़कों और रेलमार्गों के बीच अक्षम परिवहन संपर्क, जिससे कार्गो की सुगम आवाजाही प्रभावित होती है।
- **वैश्विक प्रतिस्पर्धा:** अन्य वैश्विक समुद्री केंद्रों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा, जिसके लिए निरंतर निवेश और आधुनिकीकरण आवश्यक है।

### सरकार की पहलें

- **सागरमाला कार्यक्रम:** भारत की तटरेखा और नौगम्य जलमार्गों का लाभ उठाने पर केंद्रित।
- बंदरगाह अवसंरचना, तटीय विकास और संपर्कता को समर्थन।
- तटीय बर्थ, रेल/सड़क संपर्क, मछली बंदरगाह और क्रूज टर्मिनल जैसी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता।
- **मैरिटाइम इंडिया विज़न 2030 (MIV 2030):** 2030 तक भारत को शीर्ष 10 जहाज निर्माण राष्ट्र बनाने और विश्वस्तरीय, दक्ष एवं सतत् समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने का लक्ष्य।
  - इसमें दस प्रमुख समुद्री क्षेत्रों में 150+ पहलें शामिल हैं।
- **अंतर्देशीय जलमार्ग विकास:** अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) द्वारा 26 नए राष्ट्रीय जलमार्गों की पहचान।
  - वैकल्पिक, सतत् परिवहन प्रदान करता है, जिससे सड़क/रेल भीड़-भाड़ कम होती है।
- **ग्रीन टग ट्रांज़िशन कार्यक्रम (GTTP):** ईंधन-आधारित हार्बर टग्स को पर्यावरण-अनुकूल, सतत् ईंधन-चालित टग्स से प्रतिस्थापित करने का लक्ष्य।
  - 2040 तक प्रमुख बंदरगाहों में संक्रमण पूरा किया जाएगा।
- **सागरमंथन संवाद:** वार्षिक समुद्री रणनीतिक संवाद, जिससे भारत को वैश्विक समुद्री चर्चाओं का केंद्र बनाया जा सके।
- **मैरिटाइम विकास कोष:** ₹25,000 करोड़ का कोष, दीर्घकालिक वित्तपोषण हेतु, बंदरगाह और नौवहन अवसंरचना के आधुनिकीकरण के लिए, निजी निवेश को प्रोत्साहित करता है।
- **जहाज निर्माण वित्तीय सहायता नीति (SBFAP 2.0):** भारतीय शिपयार्ड्स को वैश्विक प्रतिस्पर्धियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाने हेतु आधुनिकीकृत।

स्रोत: TH

## संक्षिप्त समाचार

### भारत के प्रमुख बंदरगाहों द्वारा कार्गो लक्ष्य की प्राप्ति से अधिक प्रदर्शन

#### संदर्भ

- भारत के प्रमुख बंदरगाहों ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 915.17 मिलियन टन (MT) कार्गो का संचालन किया, जो निर्धारित 904 MT लक्ष्य से अधिक है और वर्ष-दर-वर्ष 7.06% की वृद्धि दर्ज की गई।

#### परिचय

#### भारत में कार्यरत प्रमुख बंदरगाह

पश्चिमी तट के बंदरगाह	पूर्वी तट के बंदरगाह
दौंदयाल बंदरगाह (कांडला, गुजरात)	पारादीप बंदरगाह (ओडिशा)
मुंबई बंदरगाह (महाराष्ट्र)	विशाखापट्टनम बंदरगाह (आंध्र प्रदेश)
जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह (जेएनपीटी, महाराष्ट्र)	चेन्नई बंदरगाह (तमिलनाडु)
मोरमुगाओ बंदरगाह (गोवा)	कामराजार बंदरगाह (एन्नोर, तमिलनाडु)
न्यू मैंगलोर बंदरगाह (कर्नाटक)	श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह (कोलकाता-हल्दिया, पश्चिम बंगाल)
कोचीन बंदरगाह (केरल)	श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह (कोलकाता-हल्दिया, पश्चिम बंगाल)

#### भारत के बंदरगाह क्षेत्र की प्रगति को आगे बढ़ाने वाली प्रमुख पहलें

- विधायी सुधार:** मेजर पोर्ट अथॉरिटीज़ अधिनियम, 2021 प्रमुख बंदरगाहों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करता है और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) को प्रोत्साहित करता है।
- भारतीय पोर्ट अधिनियम, 2025** (1908 अधिनियम का स्थान लेते हुए) बंदरगाह विनियमन का आधुनिकीकरण करता है।
- बंदरगाह विकास और रखरखाव के लिए स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति है।
- सागरमाला कार्यक्रम (2015):** प्रमुख योजना, जिसमें बंदरगाह आधुनिकीकरण, संपर्कता वृद्धि, नए बंदरगाहों का विकास और तटीय समुदायों का उत्थान शामिल है।

- भारत में कुल 14 प्रमुख बंदरगाह हैं, जिनमें से 12 प्रमुख बंदरगाह वर्तमान में संचालित हैं, और देश में लगभग 200 गैर-प्रमुख (लघु) बंदरगाह हैं।
- नए बंदरगाह:** महाराष्ट्र में वधावन बंदरगाह और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में गैलेथेया बे बंदरगाह को प्रमुख बंदरगाहों के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- प्रशासनिक नियंत्रण:** प्रमुख बंदरगाह पोर्ट्स, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं, जबकि गैर-प्रमुख बंदरगाह संबंधित राज्य समुद्री बोर्ड/राज्य सरकार के अधीन आते हैं।

- मैरिटाइम इंडिया विज़न 2030:** बंदरगाह अवसंरचना, लॉजिस्टिक्स दक्षता और वैश्विक समुद्री प्रतिस्पर्धा के क्षेत्रों में 150 पहलों का खाका प्रस्तुत करता है।
- डिजिटल एवं निगरानी उपकरण:** राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स पोर्टल (मरीन) — सागर-सेतु; बंदरगाह निगरानी हेतु वास्तविक समय सागरमंथन प्रदर्शन डैशबोर्ड।

#### स्रोत: PIB

#### OPEC+

#### संदर्भ

- पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (OPEC+) समूह ने वैश्विक ऊर्जा तनावों के बीच तेल उत्पादन को प्रतिदिन 2,06,000 बैरल बढ़ाने का निर्णय लिया।
- पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण कच्चे तेल की कीमतें बढ़कर लगभग 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुँच गई हैं।

### OPEC के बारे में

- पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (OPEC) एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना 1960 में बगदाद सम्मेलन में सऊदी अरब, ईरान, वेनेजुएला, कुवैत और इराक द्वारा की गई थी।
- वर्तमान में इसके 12 सदस्य हैं: अल्जीरिया, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबॉन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला।
- संगठन का उद्देश्य पेट्रोलियम की माँग और आपूर्ति से संबंधित नीतियों का समन्वय करना है, ताकि उचित एवं स्थिर मूल्य सुनिश्चित हो सके तथा तेल उत्पादक देशों को स्थिर आय प्राप्त हो।
- इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है, हालाँकि ऑस्ट्रिया OPEC का सदस्य नहीं है।

### OPEC+

- OPEC+ में कुल 22 सदस्य हैं, जिनमें 10 प्रमुख तेल उत्पादक देश (रूस, कज़ाखस्तान, अज़रबैजान, ब्रुनेई, बहरीन, मेक्सिको, ओमान, दक्षिण सूडान, सूडान और मलेशिया) तथा OPEC के 12 सदस्य शामिल हैं।
- OPEC+ का गठन 2016 में हुआ, जब सितंबर 2016 में OPEC देशों द्वारा अल्जीयर्स समझौता अपनाया गया और नवंबर 2016 में OPEC तथा अन्य प्रमुख तेल निर्यातक देशों के बीच वियना समझौता पर हस्ताक्षर किए गए।
- यह कदम मुख्यतः अमेरिकी शेल ऑयल उत्पादन में तीव्रता से वृद्धि के कारण गिरती तेल कीमतों के जवाब में उठाया गया था।

स्रोत: TH

### स्टैगफ्लेशन

#### संदर्भ

- अमेरिका-इजराइल बनाम ईरान में जारी संघर्ष ने ऊर्जा आपूर्ति में तीव्र व्यवधान उत्पन्न किया है, जिससे 1970 के दशक जैसी स्टैगफ्लेशन की आशंकाएँ पुनर्जीवित हो गई हैं।

### स्टैगफ्लेशन क्या है?

- **परिभाषा:** स्थिर/ऋणात्मक आर्थिक वृद्धि + उच्च बेरोज़गारी + उच्च मुद्रास्फीति का एक साथ होना।
- **शब्द की उत्पत्ति:** ब्रिटिश राजनेता आइयन मैक्लियोड (1960 के दशक)।
- **खतरनाक क्यों :** सामान्य मौद्रिक नीतिगत उपकरण विफल हो जाते हैं। ब्याज दरें बढ़ाने से मुद्रास्फीति घटती है लेकिन बेरोज़गारी बढ़ती है; दरें घटाने से वृद्धि होती है लेकिन मुद्रास्फीति और बढ़ जाती है।

### यह कैसे उत्पन्न होता है?

- सामान्य अर्थव्यवस्था में मूल्य और उत्पादन स्थिर माँग-आपूर्ति वक्र के अनुसार चलते हैं।
- नकारात्मक आपूर्ति आघात (युद्ध, महामारी, प्रतिबंध) पूरे आपूर्ति वक्र को बाईं ओर स्थानांतरित देता है।
- परिणामस्वरूप, समान मूल्य स्तर पर उत्पादक कम उत्पादन करते हैं क्योंकि इनपुट लागत अधिक होती है या लॉजिस्टिक्स बाधित होते हैं।

स्रोत: TH

### फॉरएवर केमिकल्स

#### संदर्भ

- यूरोपीय संघ ने जल प्रदूषण विनियमों को सुदृढ़ किया है ताकि PFAS जैसे हानिकारक रसायनों को नियंत्रित किया जा सके, जिन्हें प्रायः “फॉरएवर केमिकल्स” कहा जाता है।

### PFAS के बारे में

- PFAS (पर- और पॉलीफ्लुओरोएल्किल पदार्थ) मानव-निर्मित रसायनों का एक बड़ा समूह है।
- इनमें सुदृढ़ कार्बन-फ्लोरीन बंध होते हैं, जो इन्हें अत्यधिक स्थिर और विघटन-प्रतिरोधी बनाते हैं।
- इन्हें स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंतर्गत स्थायी कार्बनिक प्रदूषक (POPs) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स (POPs) एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय

संधि है, जिसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को अत्यधिक खतरनाक रसायनों से बचाना है।

स्रोत: DTE

## ऑक्टोपस में हेक्टोकोटिलस

### संदर्भ

- हालिया शोध ने ऑक्टोपस में हेक्टोकोटिलस के एक नए कार्य को उजागर किया है, जिससे उन्नत संवेदी और प्रजनन अनुकूलन का पता चलता है।

### हेक्टोकोटिलस के बारे में

- हेक्टोकोटिलस नर ऑक्टोपस में पाया जाने वाला एक संशोधित भुजा है, जिसे पारंपरिक रूप से प्रजनन में महत्वपूर्ण संरचना माना जाता है।
- नए निष्कर्ष बताते हैं कि यह संवेदी कार्य भी करता है, जिससे यह एक बहु-कार्यात्मक अंग बन जाता है।
- हेक्टोकोटिलस नर ऑक्टोपस को रासायनिक संकेतों के माध्यम से मादा साथी की पहचान करने में सक्षम बनाता है।

स्रोत: TH

## BRO की परियोजना चेतक ने मनाया 47वाँ स्थापना दिवस

### संदर्भ

- सीमा सड़क संगठन (BRO) की परियोजना चेतक ने अपना 47वाँ स्थापना दिवस मनाया।

### परिचय

- परियोजना चेतक BRO की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है, जो भौगोलिक क्षेत्र के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
  - 1980 में स्थापित, इसने राजस्थान, पंजाब और गुजरात के उत्तरी भागों में सड़क नेटवर्क के विकास एवं रखरखाव में प्रमुख भूमिका निभाई है।
  - यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा की ओर जाने वाली प्रमुख संपर्क सड़कों का रखरखाव करके रक्षा बलों को सहयोग प्रदान करती है।

## सीमा सड़क संगठन (BRO)

- BRO सीमावर्ती और दुर्गम क्षेत्रों में सामरिक सड़कों, पुलों, सुरंगों एवं हवाई पट्टियों का निर्माण तथा रखरखाव करता है, ताकि सैन्य और नागरिक दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।
- मंत्रालय:** रक्षा मंत्रालय
- 1960 में स्थापना के बाद से BRO ने भारत की सीमावर्ती क्षेत्रों और मित्र पड़ोसी देशों में **64,100 किमी से अधिक सड़कें, 1,179 पुल, 07 सुरंगें और 22 हवाई पट्टियाँ** निर्मित की हैं।
- भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान में विदेशी अवसंरचना के माध्यम से BRO क्षेत्रीय संपर्क और सामरिक साझेदारी को समर्थन देता है।



स्रोत: AIR

## बायोनेस्ट (BioNEST)

### संदर्भ

- हाल ही में *BIRAC-BioNEST इनक्यूबेशन सेंटर* का उद्घाटन मैसूरु स्थित *CSIR-CFTRI* में किया गया।

### परिचय

- नया BioNEST केंद्र खाद्य जैव-प्रसंस्करण, जैव-प्रौद्योगिकी अनुसंधान, स्केल-अप प्रमाणीकरण और नियामक समर्थन को प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

- इसका मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान को बाजार-उपयुक्त उत्पादों में परिवर्तित करना है।
- **प्रमुख क्षेत्र:** स्टार्टअप्स पोषण संबंधी उत्पाद (*Nutraceuticals*), सटीक किण्वन (*Precision fermentation*), प्रोबायोटिक्स और पोस्टबायोटिक्स, *CRISPR*-आधारित तकनीकें तथा वनस्पति उत्पादों (*Botanicals*) जैसे उभरते क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं।
- **CFTRI की भूमिका:** CFTRI ने 450 से अधिक तकनीकें विकसित की हैं, जिन्हें हजारों लाइसेंसधारियों को हस्तांतरित किया गया है।
- यह खाद्य अनुसंधान, इनक्यूबेशन और उद्योग सहयोग का एक प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र बनकर उभरा है।

CFTRI	BIRAC
<p>सीएसआईआर-केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (CFTRI), मैसूरु नई दिल्ली स्थित वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) की एक घटक प्रयोगशाला है।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• इसकी स्थापना वर्ष 1950 में हुई थी।</li> <li>• इसका दृष्टिकोण खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में गहन अनुसंधान एवं विकास करना है।</li> <li>• <b>प्रमुख अनुसंधान क्षेत्र (CSIR-CFTRI)</b></li> <li>• अभियांत्रिकी विज्ञान</li> <li>• प्रौद्योगिकी विकास</li> <li>• रूपांतरणीय अनुसंधान (<i>Translational Research</i>)</li> <li>• खाद्य संरक्षण और सुरक्षा</li> <li>• CFTRI के संसाधन केंद्र हैदराबाद, लखनऊ और मुंबई में स्थित हैं।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (BIRAC)</b> एक नॉट-फॉर-प्रॉफिट धारा 8, अनुसूची बी, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है, जिसे भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) द्वारा एक इंटरफ़ेस एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया है।</li> <li>• यह उभरते हुए जैव-प्रौद्योगिकी उद्यमों को सशक्त और सक्षम बनाता है ताकि वे रणनीतिक अनुसंधान एवं नवाचार कर सकें तथा राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक उत्पाद विकास आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।</li> <li>• BIRAC लक्षित वित्तपोषण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, बौद्धिक संपदा (IP) प्रबंधन और <b>हैंडहोल्डिंग योजनाओं</b> के माध्यम से जोखिम पूंजी तक पहुँच प्रदान करता है।</li> <li>• ये उपाय जैव-प्रौद्योगिकी कंपनियों को नवाचार उत्कृष्टता प्राप्त करने और उन्हें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में सहायता करते हैं।</li> </ul>

स्रोत: TH

## भारत जनजातीय उत्सव 2026

### संदर्भ

- हाल ही में **भारत जनजातीय उत्सव 2026** का सफलतापूर्वक समापन हुआ।

### परिचय

- यह जनजातीय कार्य मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है, जिसे *TRIFED* के सहयोग से आयोजित किया गया।
- 19-दिवसीय इस उत्सव ने देशभर के जनजातीय शिल्पकारों, उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों को एक साथ लाकर भारत की विविध जनजातीय विरासत एवं उत्पादों का प्रदर्शन किया।

- शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जनजातीय शिल्पकारों और विक्रेताओं को दस श्रेणियों में सम्मानित किया गया, जिनमें मिट्टी के बर्तन, बेंत और बाँस, आभूषण, व्यंजन, वस्त्र एवं वन-आधारित उत्पाद शामिल थे।
- प्रमुख आकर्षणों में *रिसा पैविलियन* शामिल था, जो समकालीन जनजातीय डिज़ाइन को बढ़ावा देता है, तथा **भारत जनजातीय उत्सव बाज़ार**, जिसका उद्देश्य बाज़ार संपर्कों को सुदृढ़ करना था।

स्रोत: PIB

